अनुसूची–१४ –फारम स0 ९६२

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख [illegible]स्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला द[illegible]डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0–34/2012

(डोरीगंज थाना कांड संख्या 108/2012 से संबंधित)

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सदर, छपरा,सारण)

बनाम

वैधनाथ प्रसाद यादव

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
16.04.2015	अपीलार्थी की हाजरी प्राप्त। यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के पत्रांक 1174 दिनांक 18.10.12 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया यह डोरीगंज थाना कांड संख्या 108/2012 से संबंधित है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.12 के आलोक में प्रोसेस नं0 58 दिनांक 01.11.12 के द्वारा विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया जिसके आलोक में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के पत्रांक 384 दिनांक 23.08.14 के द्वारा निदेशानुसार जप्त सामग्री की बिक्री डाक के द्वारा करा कर विक्रय राशि कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। विपक्षी (जप्त खाद्यान्न के स्वामी/दावाकर्ता) के द्वारा डोरीगंज थाना कांड संख्या 108/2012 से संबंधित विचारण संख्या 2391/2014 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.04.2014 की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि विमुक्त करने हेतु आवेदन दिया गया है।	

विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.14 में विपक्षी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है।

माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षी के द्वारा दाखिल कागजात के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को निर्देश है कि जप्त सामग्री की विक्रय राशि विपक्षी (जप्त सामग्री के स्वामी/दावाकर्ता) को उचित पहचान पर विहित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराते हुए अनुपालन प्रतिवदेन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं सशोधित

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 273 /न्यायालय, दिनांक 2/4/15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः- थानाध्यक्ष, डोरीगंज थाना छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विपक्षी (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्त्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

2/4/15

udhgran 34-12 baidhnath pd yadav